

तारीख हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

28.10.25

पत्रावली वास्ते आदेशार्थ पेश हुई।  
प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि एक  
कावा वादी शरा अन्तर्गत धारा 188 RTA  
पेश कर निवेदन किया कि विवादित  
आवासीय घ.नं. 2539, 2544, 2545,  
2562, 2563, 2564 ग्राम कछेली में  
स्थिति है जिसके कब्जेकार शरा प्रतिवादी  
को किसी भी से खसल देने से पाबंद  
किया जाए। पत्रावली दर्ज रजिस्टर कर  
पक्षकारान को तलब किया गया।  
प्रतिवादी शरा उपस्थिति लेकर जवाब पेश  
किया गया। अन्त में वादी की एकरवा  
बतस सुनी गई। पत्रावली के समय  
भवलोक, गवाटो के बयान व वादी  
पक्ष की एकरवा बतस सुनने के  
परन्तु एम कावे से निर्णित क्रियात्मक  
उचित समझे है।

अतः शरा का कावा वादी विरुद्ध  
प्रतिवादी गण डि.सी. किया जाता है। तथा  
प्रतिवादी गण को स्थाई निवेधाना से  
पाबंद किया जाता है कि वे विवादित  
आवासीय घ.नं. वादी के एक-कारत में  
किसी तरह की खसल अंदाजी नहीं

१११

हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख  
अहकाम जो इस  
हुक्म की तामील में  
जारी हुए

करे। कोई मजामहात नही करे। पत्रावली  
फैवाल सुमार होकर नम्बर से कम  
होकर वासिल दफ्तर है।

9/11  
उपखण्ड अधिकारी  
करोली (राज०)